पत्रांक–03 / स्था0रा0से0(हड़ताल)–06 / 2026(पार्ट)–.....564.....(3) / रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0के0 अनिल, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव।

सेवा में,

निबंधित / ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15 दिनांक–28/03/2026

विषय :– **BiRSA संघ के Office bearars / जिला अध्यक्षों द्वारा Whatsapp के माध्यम से कार्यरत अंचल अधिकारियों / राजस्व अधिकारियों को धमकी देने, कार्य बाधित करने एवं विधि व्यवस्था प्रभावित करने के आलोक में दिशा–निर्देश।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–563(3) दिनांक 26.03.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आप अवगत है कि BiRSA के आह्वान पर कुछ अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी सामूहिक अवकाश पर दिनांक–09.03.2026 से प्रस्थान कर गये हैं, जो आज तक अवकाश पर हैं। इनमें से कई सर्वप्रथम अवकाश पर गए ही नहीं और कुछ और जो सरकार के द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति संख्या–027190 (Revenue) 2025–26, दिनांक–25.03.2026 के आलोक में 24 पदाधिकारियों ने योगदान समर्पित किया है। उक्त के आलोक में प्रासंगिक पत्र के द्वारा कार्यरत पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने के संबंध में दिशा–निर्देश संसूचित किया गया है।

2. विभिन्न स्रोतों से यह ज्ञात हुआ है कि कार्यरत पदाधिकारियों को BiRSA के पदधारकों (Office bearers) द्वारा Whatsapp Call पर धमकी दी जा रही है एवं सरकारी कार्य में अवरोध पैदा करने की कोशिश (Social Media पर Naming & Shaming भी शामिल) की गई है, तथा विधि व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।

3. यह कि किसी भी सरकारी सेवक द्वारा ऐसा कृत्य करना ना ही सिर्फ सरकारी सेवक के सामान्य आचरण के विरूद्ध है. बल्कि या स्पष्टतः Criminal Activity एवं संज्ञेय अपराध (Cognigible offence) भी है। सरकारी सेवक द्वारा ऐसा कृत्य BNS, 2023 की धारा 132, 351, 352, 126, 127, 349, 350, 195 के अंतर्गत दंडणीय अपराध है। साथ ही IT Act, 2000 के धारा 67 के अंतर्गत स्पष्टतः आपराधिक कृत्य है (नोट– कृपया IT Act, 2000 की धारा–66A नहीं लगाए)।

4. यह कि सरकार का यह स्पष्ट मत है कि किसी प्रकार की अराजकता का प्रयास एवं विधि। व्यवस्था पर कुप्रभाव राजस्व प्रशासन के ढांचे पर कुठाराघात है एवं इससे जिला में सामान्य विधि व्यवस्था भी बिगड़ती है।

5. अतः यदि आपके समक्ष लिखित/ मौखिक ऐसे शिकायत प्राप्त होते हैं तो तुरन्त ऐसे Office bearers/ जिला अध्यक्षों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाय।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए एवं सभी समाहर्त्ता अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे कृत्य को रोकने का प्रयास करेंगे एवं विभाग को कृत कार्रवाई से अवगत कराऐंगे।

विश्वासभाजन,

28/03/2026

(सी० के० अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/स्था0रा0से0(हड़ताल)–06/2026(पार्ट)–564**(3)/रा0 दिनांक–** 28/03/2026

प्रतिलिपि – सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/03/2026

(सी० के० अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/स्था0रा0से0(हड़ताल)–06/2026(पार्ट)–564**(3)/रा0 दिनांक–** 28/03/2026

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/03/2026

(सी० के० अनिल)
प्रधान सचिव।